(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 277/1995 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–1994– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण 36/1993–94 निगरानी

श्रीमती हफीजन पत्नि जहीरउद्धीन
निवासी श्योपुर कलॉ ---आवेदिका

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– हरीबाबू पुत्र जयरामदास
निवासी श्योपुर कलॉ
3– ढेलू पुत्र वरमा आदिवासी
ग्राम रामपुरा डॉग तहसील श्योपुर
4– परसादी पुत्र पुन्दया आदिवासी
5– श्रीलाल पुत्र ग्यारस्या आदिवासी
6– परगू पुत्र ग्यारसा आदिवासी
तीनों निवासी ग्राम रामपुरा डॉग
तहसील व वर्तमान जिला श्योपुर कलॉ ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदक 3 से 3 के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री ए.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 5 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण प्रकरण 36/1993–94 निगरानी में पारित आदेश दि. 30.11.94 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदिका ने अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण कमांक 25/1991-92 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-8-1993 के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक प्रकरण 36/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दि. 30.11.94 से निगरानी अवधि-वाह्य प्रस्तुत होने के कारण निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो के आधारों पर आवेदिका के अभिभाषक एंव अनावेदकगण के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदिका के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि दिनांक 6-11-1993 को अचानक बात मालूम हुई कि पटवारी मौजा ने किसी आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों से नाम काट दिया है, तब दिनांक 6-11-93 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदनि देकर 10-11-93 को प्रतिलिपि प्राप्त की, तब 17-11-93 को विवादित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने पर पता चला कि ढेलू आदि ने ग्राम रामपुर डॉग में स्थित भूमि सर्वे नंबर 175, 171,167/2, 169, 165,166, 167/1 की भूमि के संबंध में गलत पटटे किये जाने का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था एंव आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि आवेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी से ग्राम रामपुरा डॉग की भूमि सर्वे कमांक 170 रकबी 3 वीघा 7 विसवा तथा 174 रकबा 4 वीघा 10 विसवा खरीदी थी और उस पर नामान्तरण भी हो चुका है। आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त एंव अपर कलेक्टर के आदेशों को निरस्त करने की मांग रखी। अनावेदक कमांक 1 एंव

3 से 6 के अभिभाषक ने अपर आयुक्त एंव अपर कलेक्टर के आदेशों को सही बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया। जैसाकि आवेदिका के अभिभाषक ने बताया कि आवेदिका अपर कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाई गई है जबकि आवेदिका ने भूमि सर्वे क्रमांक 170 रकबी 3 वीघा 7 विसवा तथा 174 रकबा 4 वीघा 10 विसवा अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क्रमांक16/87-88 अ 21 में पारित आदेश दिनांक 18-7-88 से पटटेदार को दी गई विक्रय अनुमति दिनांक 18-7--88 मिलने के उपरांत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 9-6-89 से क्रय करना बताया है एंव विक्रय पत्र के आधार पर उसका नामान्तरण होना भी बताया है। ऐसी स्थिति में जब आवेदिका अपर कलेक्टर श्योपुर कलॉ के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 25/1991-92 में पक्षकार नहीं बनाई गई, उसे अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी यथा-समय न होने का बताया गया तथ्य उचित प्रतीत होता है।

जैसाकि अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 30.11.1994 के पद-4 में उल्लेखित किया है कि आवेदिका की ओर से विलम्ब क्षमा करने हेतु अवधि विधान की धारा--5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र नहीं दिया है किन्तु अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो के पृष्ठ-4 पर आधारों में अंकित किया गया है कि वगैर संबंधित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये वगैर आदेश पारित किया गया है इसलिये जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद निगरानी पेश की जा रही है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44, 50 एंव 47 का यदि सही अर्थान्वयन किया जाय, यदि निगरानी/अपील मेमो में विलम्ब का कारण दर्शा दिया है अवधि

विधान की धारा-5 का आवेदन प्रथक से नहीं दिया गया - विलम्ब क्षमा करने पर विचार किया जायेगा, जबकि आवेदिका को अपर कलेक्टर व्दारा न तो प्रकरण में पक्षकार बनाया है और ही किसी प्रकार की सूचना दी है जिसके कारण आवेदिका व्दारा निगरानी मेमो में समयावधि के सम्बन्ध में अंकित आधार उचित प्रतीत होता है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-50- आयुक्त के समक्ष नियत कालावधि के वाहर निगरानी की गई - राजस्व मण्डल में केवल म्याद के निराकरण तक विचार की सीमा रहेगी- मामला पूरे प्रकरण पर विचारित नहीं होगा।

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-50 सहपठित 47 - निगरानी समयावधि के बिन्दु पर निरस्त - द्वित्तीय निगरानी समयावधि के बिन्दु पर स्वीकार - मामला अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोषों पर विचार हेतु भेजा जायेगा।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण प्रकरण 36/1993-94 निगरानी में पारित आदेश दि. 30.11.94 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु वापिस किया जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर